न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 803/2023
अनवान : –

1. मांगीलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. सरजीत सिंह पुत्र फुमन सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन मघीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर पंजाब।
3. गुरबक्स सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन मघीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर पंजाब।
4. बिल्लासिंह पुत्र उजागर सिंह रामगढ़िया सिख साकिन मघीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर पंजाब।
5. घड़सीराम पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. प्रेम प्रकाश पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. देवीलाल पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. जगदीश प्रसाद पुत्र आईदान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. हवासिंह पुत्र आईदान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. बनवारीलाल पुत्र आईदान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. सुभाष चन्द्र पुत्र कृष्ण चन्द्र जाति ब्राहमण निवासी मेहरवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. राजेराम पुत्र आदुराम जाति ब्राहमण निवासी मेहरवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. भूराराम पुत्र गणपतराम जाति दमामी निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. सदीक पुत्र गणपत जाति दमामी निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
15. सिकन्दर पुत्र सदीक खां जाति दमामी साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
16. सीमा पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
17. कृष्णा पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
18. शारदा पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
19. लिछमा पत्नी जीतराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
20. अनिल कुमार पुत्र जीतराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
21. अंकित कुमार पुत्र जीतराम ज़ाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
22. ममता पुत्री जीतराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 30/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 62 के ख0न0 215 की 7.16 बीघा, ख0न0 230 की 41.12 बीघा, ख0न0 666 की 4.06 बीघा, ख0न0 843 की 14.05 बीघा, ख0न0 845 की 5.02 बीघा कुल 73.01 बीघा भूमि स्थि[illegible]रीश पि0 गणपत बहिब 29 हिस्सा, हजारी पुत्र गणेशाराम जाति जाट [illegible] सरजीत पि फुमन सिंह, उजागर सिंह पुत्र फुमन सिंह, ज्वालासिंह [illegible]38 हिस्सा के खाते[illegible]श्तकार थे।

रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के [illegible]ाता स0 62 की कुल [illegible].01 बीघा भूमि में से सरजीत सिंह पुत्र फुमन सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन मघीर तहसील मुक्तसर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:49:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

फिरोजपुर पंजाब ने अपने नाम दर्ज संयुक्त हिस्से में यानि 279 हिस्सा 13.19 बीघा भूमि नारायणी पत्नी गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील को बैय कर दी एवं बैयनामा केक आधार पर 279 हिस्सा की नारायणी पत्नी गोरीशंकर मन्दरपुरा के नाम नामान्तरण संख्या 290 दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी स0 2 सरजीत पुत्र फुमन सिंह ने अपने हक व हिस्से की समस्त भूमि का बैयनामा करवा दिया एवं नारायणी पत्नी गौरीशंकर का देहान्त हो चुका है नारायणी पत्नी गौरीशंकर के जायज वारिस प्रेम प्रकाश, देवीलाल व घड़सीराम है जिनके नाम भूमि दर्ज हो चुकी है प्रतिवादी स0 2 सरजीतसिंह पुत्र फुमनसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा का बैयनामा करवा दिया गया उसके बावजुद भी राजस्व रिकार्ड में पुन वाद भूमि दर्ज कर दी गई जिसके कारण वर्तमान जमाबदी में यह खाता अपवादित खाते के रूप में दर्ज हो गया है। अत रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 569/561 की कुल 18.4760 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 378 हिस्सा में वादी अकेला 1/5 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 18 प्रत्येक 3/5 हिस्सा, प्रतिवादी स0 20 ता 22 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 बहिब 281 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 ता 9 बहिब 80 हिस्सा, प्रतिवादी स0 10 अकेला 23–1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स0 11 ता 12 बहिब 279–1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 ता 7 बहिब 279 हिस्सा, प्रतिवादी स0 13 अकेला 14–1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स0 14 अकेला 94–1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स0 15 अकेला 23–1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वाद भूमि की वाद भूमि की हिस्सा कस्सी सही करवा लेवे एवं अवादित शब्द हटवा लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 5 ता 12 व 15 ता 22 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है प्रतिवादी स0 2 ता 4 व 13, 14 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भूमि न्यायालय में उपस्थित नही अत प्रतिवादी स0 2 ता 4 व 13, 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, चित्रप्रति बैयनामा पेश की जो की शामिल मिसल की गई। प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने मौका रिपोर्ट पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:49:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में आपसी सहमति से एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही होने पर साक्ष्य लिये गये वादीया ने साक्ष्य वादीया में अपना शपथ पत्र पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण ने जाहिर किया की वह साक्ष्य पेश नही करना चाहते है साक्ष्य बन्द किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 62 के ख0न0 215 की 7.16 बीघा, ख0न0 230 की 41.12 बीघा, ख0न0 666 की 4.06 बीघा, ख0न0 843 की 14.05 बीघा, ख0न0 845 की 5.02 बीघा कुल 73.01 बीघा भूमि स्थित है जिसमें गन्नी खां, अदरीश पि0 गणपत बहिब 29 हिस्सा, हजारी पुत्र गणेशाराम जाति जाट साकिन गोरखाना 387 हिस्सा, सरजीत पि फुमन सिंह, उजागर सिंह पुत्र फुमन सिंह, ज्वालासिंह पुत्र बाल सिंह बहिब 838 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 62 की कुल 73.01 बीघा भूमि में से सरजीत सिंह पुत्र फुमन सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन मघीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर पंजाब ने अपने नाम दर्ज संयुक्त हिस्से में यानि 279 हिस्सा 13.19 बीघा भूमि नारायणी पत्नी गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील को बैय कर दी एवं बैयनामा केक आधार पर 279 हिस्सा की नारायणी पत्नी गोरीशंकर मन्दरपुरा के नाम नामान्तरण संख्या 290 दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी स0 2 सरजीत पुत्र फुमन सिंह ने अपने हक व हिस्से की समस्त भूमि का बैयनामा करवा दिया एवं नारायणी पत्नी गौरीशंकर का देहान्त हो चुका है नारायणी पत्नी गौरीशंकर के जायज वारिस प्रेम प्रकाश, देवीलाल व घड़सीराम है जिनके नाम भूमि दर्ज हो चुकी है प्रतिवादी स0 2 सरजीतसिंह पुत्र फुमनसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा का बैयनामा करवा दिया गया उसके बावजुद भी राजस्व रिकार्ड में पुन वाद भूमि दर्ज कर दी गई जिसके कारण वर्तमान जमाबदी में यह खाता अपवादित खाते के रूप में दर्ज हो गया है। अत रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 569/561 की कुल 18.4760 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 378 हिस्सा में वादी अकेला 1/5 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 18 प्रत्येक 3/5 हिस्सा, प्रतिवादी स0 20 ता 22 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 बहिब 281 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 ता 9 बहिब 80 हिस्सा, प्रतिवादी स0 10 अकेला 23–1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स0 11 ता 12 बहिब 279–1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 ता 7 बहिब 279 हिस्सा, प्रतिवादी स0 13 अकेला 14–1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स0 14 अकेला 94–1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स0 15 अकेला 23–1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार नोहर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि दर्ज कर अपवादित का अंकन हटवाया जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की रिकार्ड जमाबन्दी में भूमि हिस्से /मौके से अधिक दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड में अपवादित के तौर पर दर्ज है जिसका अंकन जमाबन्दी में किया हुआ है तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:49:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार प्रतिवादी स0 2 द्वारा उक्त भूमि में अपने नाम दर्ज भूमि को बैय कर दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 व 15 ता 22 को कोई एतराज नही है। प्रस्तुत रिकार्ड एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है कि उक्त वाद भूमि में हिस्सा कस्सी है जिसे सही किया जाकर जमाबन्दी संशोधन किया जाना न्यायोचित है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक तहसीलदार मौका रिपोर्ट डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 569/561 की कुल 18.4760 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. गुरबक्ससिंह पुत्र उजागर सिंह जाति रामगढ़िया सिख सा0 मधीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर खातेदार– 1.7672 हैक्ट
2. घड़सीराम पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार– 1.1761 हैक्ट
3. जगदीश प्रसाद पुत्र आईदान जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.5060 हैक्ट
4. देवीलाल पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 1.1761 हैक्ट
5. प्रेम प्रकाश पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा गोरखाना– 1.1761 हैक्ट
6. बनवारीलाल पुत्र आईदान जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.2971 हैक्ट
7. बिल्ला सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति रामगढ़िया सिख सा0 मधीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर खातेदार– 1.7672 हैक्ट
8. भुराराम पुत्र गणपतराम जाति दमामी सा0 गोरखाना खातेदार– 0.1834 हैक्ट
9. राजेराम पुत्र आदुराम जाति ब्राहमण सा0 मेहरवाला तहसील टिब्बी खातेदार– 1.7672 हैक्ट
10. सदीक पुत्र गणपतराम जाति दमामी सा0 गोरखाना खातेदार– 1.1951 हैक्ट
11. सुभाष चन्द्र पुत्र कृष्ण चन्द्र जाति ब्राहमण सा0 मेहरवाला तह0 टिब्बी रहन एसबीआई शाखा गोरखाना रहन मुक्त [illegible] खातेदार [illegible]
12. सिकन्दर पुत्र सदीक खां जाति दमामी सा0 गोरखाना खातेदार रहन पीएनबी शाखा मन्दरपुरा– 0.2971 हैक्ट
13. हवासिंह पुत्र आईदान जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना–0.5060 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:49:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

14. मांगीलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदी रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.9789 हैक्ट
15. सीमा पुत्री हजारीराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.9789 हैक्ट
16. कृष्णा पुत्री हजारीराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना–0.9788 हैक्ट
17. शारदा पुत्री हजारीराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.9788 हैक्ट
18. लिछमा पत्नी जीतराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.2447 हैक्ट
19. अनिल कुमार पुत्र जीतराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.2447 हैक्ट
20. अंकित कुमार पुत्र जीतराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना–0.2447 हैक्ट
21. ममता पुत्री जीतराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना–0.2447 हैक्ट

कुल रकबा 18.4760

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाकर अपवादित होने का अंकन हटाया जाता है। भूमि यदि रहन हो तो बैक ऋण यथावत रहेगा तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:49:40 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 803 / 2023

अनवान : –

1. मांगीलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. सरजीत सिंह पुत्र फुमन सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन मघीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर पंजाब।
3. गुरबक्स सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति रामगढ़िया सिख साकिन मघीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर पंजाब।
4. बिल्लासिंह पुत्र उजागर सिंह रामगढ़िया सिख साकिन मघीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर पंजाब।
5. घड़सीराम पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. प्रेम प्रकाश पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. देवीलाल पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. जगदीश प्रसाद पुत्र आईदान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. हवासिंह पुत्र आईदान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. बनवारीलाल पुत्र आईदान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. सुभाष चन्द्र पुत्र कृष्ण चन्द्र जाति ब्राहमण निवासी मेहरवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. राजेराम पुत्र आदुराम जाति ब्राहमण निवासी मेहरवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. भूराराम पुत्र गणपतराम जाति दमामी निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. सदीक पुत्र गणपत जाति दमामी निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
15. सिकन्दर पुत्र सदीक खां जाति दमामी साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
16. सीमा पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
17. कृष्णा पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
18. शारदा पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
19. लिछमा पत्नी जीतराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
20. अनिल कुमार पुत्र जीतराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
21. अंकित कुमार पुत्र जीतराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
22. ममता पुत्री जीतराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 803 सन 2023 निर्णय दिनांक 28/04/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मु[illegible] जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीग[illegible]मति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक तहसीलदा[illegible] जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता [illegible] 569 / 561 की कुल 18.4760 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. गुरबक्ससिंह पुत्र उजागर सिंह जाति रामगढ़िया सिख सा0 मघीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर खातेदार– 1.7672 हैक्ट

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:49:40 IST
Reason: SelfAttested

2. घड़सीराम पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार– 1.1761 हैक्ट
3. जगदीश प्रसाद पुत्र आईदान जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.5060 हैक्ट
4. देवीलाल पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 1.1761 हैक्ट
5. प्रेम प्रकाश पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा गोरखाना– 1.1761 हैक्ट
6. बनवारीलाल पुत्र आईदान जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.2971 हैक्ट
7. बिल्ला सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति रामगढ़िया सिख सा0 मधीर तहसील मुक्तसर जिला फिरोजपुर खातेदार– 1.7672 हैक्ट
8. भुराराम पुत्र गणपतराम जाति दमामी सा0 गोरखाना खातेदार– 0.1834 हैक्ट
9. राजेराम पुत्र आदुराम जाति ब्राहमण सा0 मेहरवाला तहसील टिब्बी खातेदार– 1.7672 हैक्ट
10. सदीक पुत्र गणपतराम जाति दमामी सा0 गोरखाना खातेदार– 1.1951 हैक्ट
11. सुभाष चन्द्र पुत्र कृष्ण चन्द्र जाति ब्राहमण सा0 मेहरवाला तह0 टिब्बी रहन एसबीआई शाखा गोरखाना रहन मुक्त प्रक्रियाधीन खातेदार–1.7672
12. सिकन्दर पुत्र सदीक खां जाति दमामी सा0 गोरखाना खातेदार रहन पीएनबी शाखा मन्दरपुरा– 0.2971 हैक्ट
13. हवासिंह पुत्र आईदान जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना–0.5060 हैक्ट
14. मांगीलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.9789 हैक्ट
15. सीमा पुत्री हजारीराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.9789 हैक्ट
16. कृष्णा पुत्री हजारीराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना–0.9788 हैक्ट
17. शारदा पुत्री हजारीराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.9788 हैक्ट
18. लिछमा पत्नी जीतराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.2447 हैक्ट
19. अनिल कुमार पुत्र जीतराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना– 0.2447 हैक्ट
20. अंकित कुमार पुत्र जीतराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना–0.2447 हैक्ट
21. ममता पुत्री जीतराम जाति जाट सा0 गोरखाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना–0.2447 हैक्ट

कुल रकबा 18.4760

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाकर अपवादित होने का अंकन हटाया जाता है। भूमि यदि रहन हो तो बैक ऋण यथावत रहेगा तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थ[illegible] उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकार [illegible] अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:49:40 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर